XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

## समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
## राजस्व अपील वाद सं0– 151/2004

**शिव नारायण भगत, पिता–स्व0 सुन्दर भगत**
**साकिन–टेटराही, थाना– जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक**

**बनाम**

**उतिम लाल यादव, पिता–स्व0 अच्छेलाल यादव**
**साकिन–टेटराही, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षीगण**

## आ दे श

आवेदक द्वारा यह अपील वाद प्रश्नगत जमीन मौजा रामपुर तिलक, खाता संख्या–35, खेसरा नं0–16, रकवा 29 डिसमल में बटाईदारी हक के लिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा वाद संख्या 25/01–02 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी उनके पिता के नाम से दर्ज है। आर0एस0सर्वे के दौरान प्रश्नगत जमीन में गलत ढंग से विपक्षी के पिता के नाम से सिकमीदार के रूप में दर्ज हो गया। गलत सर्वे हो जाने के उपरान्त भी विपक्षी के पिता कभी भी खेत पर नहीं गए परन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त पुत्र (विपक्षी) लालच में पड़कर विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बनमनखी के न्यायालय में धारा 48 ई0 बी0टी0एक्ट के अर्न्तगत वाद संख्या 25/01–02 दायर कर दिया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने समझौता परिषद् के प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए विपक्षी को बटाईदार घोषित कर दिया। जो विधि–सम्मत नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा इस न्यायालय से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए विपक्षी के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी का कथन है कि उनके पिता अपने जीवनकाल में प्रश्नगत जमीन पर बटाईदारी करते थे और उनकी मृत्यु के उपरान्त विपक्षी खेती कर रहा है। आवेदक का यह कहना है कि विपक्षी या उनके पिता कभी बटाईदार नहीं थे, यह पूर्णरूपेन निराधार है। समझौता परिषद् के सलाह को भी आवेदक ने मानने से ईंकार कर दिया। फलस्वरूप अंचल पदाधिकारी से स्थल जांच प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने विपक्षी को बटाईदार घोषित करने का आदेश पारित किया, जो पूर्णतः नियमानुकूल एवं न्यायसंगत है।

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

अतः आवेदक द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

दिनांक 25.02.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का यह कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के द्वारा बिना किसी आधार के दिनांक 28.01.2002 से बटाईदार घोषित किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी कभी भी उनके साथ बटाईदारी का कार्य नहीं किया है एवं समझौता परिषद् के निर्णय से भिन्न होकर विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो गलत है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक के द्वारा किया जा रहा दावा गलत है, क्योंकि उनके पिता का नाम गलती से सर्वे खतियान में जिक्र हो गया है। इसे सुधार करने हेतु आवेदक के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई उक्त 50 वर्ष से नहीं किया गया है।

मेरे पिता की मृत्यु के बाद बटाईदार के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इस संबंध में गठित समझौता परिषद् अंचल अधिकारी के अध्यक्षता में था। उनके द्वारा भी विपक्षी का ही दखल–कब्जा बताया गया। इसलिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी का आदेश सही है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ